15.5.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट गुढ़ा में पेश हुई। वादी सं. 2 व 11 स्वयं उपस्थित। जरिये वकील जवाबदावा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 ने पेश किया जो शामिल मिसल रहे। उपस्थित वादीगण उनके वकील एवं प्रतिवादीगण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के वकील ने बयान किया कि वादीगण के पूर्वजों द्वारा गत ख.नं. 258 में से 15 बिस्वा भूमि जरिये रजि. विक्रय पत्र के दिनांक 19.12.74 को क्रय की गई थी, लेकिन वर्तमान में उभयपक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो चुका है तथा प्रतिवादीगण वर्तमान ख.नं. 1255 रकबा 0.0800 है. भूमि वादीगण को देने के लिए तैयार है। इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा इकबालिया से होती है। वादीगण को भी उक्त वर्णित भूमि लेने में कोई एतराज नहीं है। गत ख.नं. 258 से वर्तमान ख.नं. 1255 रकबा 0.0800 है. बनना साबित है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की सहमति के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

राधेश्याम सैनी

छाजूराम
पूर्व सरपंच पौंख

आदेश

वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम पौंख की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि ख.नं. 1255 रकबा 0.0800 है. का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। उक्त ख.नं. 1255 के अलावा शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.5.18 को कैम्प कोर्ट गुढ़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner